



# Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 26-2018]

चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 26 जून, 2018  
(05 आषाढ़, 1940 शक)

## विधायी परिशिष्ट

| क्र.मांक | विषय वस्तु                                                                                                                                                                                          | पृष्ठ   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| भाग I    | अधिनियम                                                                                                                                                                                             |         |
|          | कुछ नहीं                                                                                                                                                                                            |         |
| भाग II   | अध्यादेश                                                                                                                                                                                            |         |
|          | कुछ नहीं                                                                                                                                                                                            |         |
| भाग III  | प्रत्यायोजित विधान                                                                                                                                                                                  |         |
|          | अधिसूचना संख्या सा0का0नि0 41/संवि0/अनु0 309/2018, दिनांक 25 जून, 2018<br>—पंजाब जेल विभाग क्लर्क तथा तकनीकी (राज्य सेवा श्रेणी III) हरियाणा संशोधन नियम, 2018.<br>(प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित।) | 497-498 |
| भाग IV   | शुद्धि-पच्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन                                                                                                                                                          |         |
|          | कुछ नहीं।                                                                                                                                                                                           |         |

**HARYANA GOVERNMENT****JAIL DEPARTMENT****Notification**

The 25th June, 2018

**No. G.S.R. 41/Const./Art. 309/2018.**— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules to further amend the Punjab Jail Department Clerical and Technical (State Service Class III) Rules, 1962, in their application to the State of Haryana namely:-

These Rules may be called the Punjab Jail Department Clerical and Technical (State Service Class III) Haryana Amendment, Rules, 2018.

2. In the Punjab Jail Department Clerical and Technical (State Service Class III) Rules, 1962, in rule 6, for the word "thirty", words and sign "Forty-two" shall be substituted.

DR. S.S. PRASAD,  
Additional Chief Secretary to Government Haryana,  
Jails Department.

## भाग - III

## हरियाणा सरकार

## जेल विभाग

## अधिसूचना

दिनांक 25 जून, 2018

संख्या सांका०नि० 41/संवि०/अनु० 309/2018.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पंजाब जेल विभाग क्लर्क तथा तकनीकी (राज्य सेवा श्रेणी III) नियम, 1962, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. ये नियम पंजाब जेल विभाग क्लर्क तथा तकनीकी (राज्य सेवा श्रेणी III) हरियाणा संशोधन नियम, 2018, कहे जा सकते हैं।

पंजाब जेल विभाग क्लर्क तथा तकनीकी (राज्य सेवा श्रेणी III) नियम, 1962 में, नियम 6 में, "तीस वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "बयालीस वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

डॉ० एस० एस० प्रसाद,  
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
जेल विभाग।